न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/प्रा.पत्र/22 सूरजमल / छीतर मालवीय	
11/3/25	पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन रहा कि प्रार्थी जानबूझकर गैर हाजिर नही रहा था, प्रार्थी सुरजमल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह अपील में नियत पेशी दिनांक 14/09/2020 को उपस्थित न्यायालय नहीं आ सका था, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपील को नम्बर पर लिया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। वकील अप्रार्थीगण की आपत्ति रही कि प्रार्थी द्वारा अपील में अनुपस्थित रहने का बताया गया कारण मनगढन्त है प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर उसके अधिवक्ता को सूचना रही है इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र काफी विलम्ब से पेश किया है प्रार्थी ने इस प्रार्थनापत्र के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर दिनांक 06/12/2021 तक का समय मुजरा दिये जाने की प्रार्थना की गई, जबकि हस्तगत प्रार्थनापत्र दिनांक 30/12/2021 को पेश किया है इस प्रकार प्रार्थनापत्र अवधि बाधित होने तथा मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावें। न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट आया कि अपील सं. 179/2016 बउनवान सुरजमल	

जिला कलेक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/प्रा॰पत्र/22 सूरजमल/छीतर मालवीय	

बनाम छीतरलाल वगै॰ अपीलांट सूरजमल तथा उसके अधिवक्ता के नियत पेशी दिनांक 14/09/2020 को उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थी। पेशी पर अनुपस्थिति के संबंध में प्रार्थी की ओर से पेश दस्तावेज Eternal Hospital Jaipur की रिपोर्ट माह जुलाई- अगस्त, 2019 के दौरान की है, जबकि उक्त अपील एक वर्ष बाद दिनांक 14/09/2020 को खारिज हुई है। इस प्रकार उक्त दिनांक को प्रार्थी के बीमार होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाये गये। यहां उल्लेखनीय है कि अपील पत्रावली दिनांक 10/04/17 से बहस हेतु नियत रही है, परन्तु अपीलांट की ओर से बहस हेतु बार-बार समय लिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट शुरू से ही अपील में निर्णय के विलम्ब के इरादे से आये थे। अतः प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्य विश्वसनीय व संतोषजनक नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। न्यायालय की मूल अपील पत्रावली वापस अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। हस्तगत प्रार्थना पत्र फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाया जावें।

जिला कलेक्टर; बून्दी